बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

विषयः– F-2 एकरारनामा के अंतर्गत निविदाओं में सी0आई0, जी0आई0, डी0आई0, एम0एस0 पाईप एवं इन पाईपों के स्पेशल्स आदि के लिए Price Neutralization को लागू किये जाने के संबंध में ।

1. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विभिन्न कार्यों के लिए लोहे से बने पाईप, उनके स्पेशल्स एवं हैण्डपम्प सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख सामग्री/अवयव हैं । ये सामग्रियाँ विभाग की योजनाओं का लगभग 60–70% होती है । इसलिए इन सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि होने के चलते किसी भी योजना के पूरे स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है और योजना के निर्माण में कठिनाई उत्पन्न होती है ।

2. विगत महीनों में लोहे के मूल्य में वृद्धि होने के कारण जी0आई0, सी0आई0, डी0आई0 एवं एम0एस0 पाईप एवं उनके स्पेशल्स की कीमतों में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है । इसके चलते विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाई हो रही है ।

3. F-2 एकरारनामा के तहत वर्तमान स्थिति में बिना इन सामग्रियों के Price Neutralization के संवेदक के द्वारा कार्य करने में कठिनाई महसूस किया जा रहा है । संवेदक निविदा देने के बाद भी एकरारनामा करने से हिचक रहे हैं । जिसके चलते कार्य प्रभावित हो रहा है ।

4. अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार F-2 contract document के तहत वर्तमान में चल रहे एवं भविष्य में किये जाने वाले टर्न की निविदा के कार्यों के लिए Standard Bidding Document के Clause 10 CA/10 CC में वर्णित सामग्रियों के Price Neutralization के प्रावधान को लागू किया जाता है । इस प्रकार के Price Neutralization के प्रावधान को जी0आई0 पाईप, सी0आई0 पाईप, डी0आई0 पाईप, एम0एस0 पाईप एवं इन पाईपों के स्पेशल्स के संबंध में भी लागू किया जाता है । इन सामग्रियों में बढ़ोत्तरी और घटोत्तरी के Neutralization का सामंजन Standard Bidding Document के Clause 10 CA/10 CC में निरूपित फार्मूला के आधार पर किया जायेगा ।

उप॰ ... 20/6

5. वैसे कार्य जिनके लिये पूर्व प्रावधान के अनुसार F-2 एकरारनामा पर निविदा प्राप्त कर ली गई है और निविदा अनुमोदन की प्रकिया में हैं, या F-2 एकरारनामा पर आधारित कार्य प्रगति पर है, के लिए उपरोक्त कंडिका–4 के निर्णयानुसार कार्य से संबंधित दावा संवेदक से प्राप्त होने पर सामग्रियों की दर में बढ़ोत्तरी का Neutralization उक्त उपबंधित फार्मूला के अनुसार दिया जायेगा ।

6. यह प्रावधान उन्हीं एकरारनामा पर लागू होगा जो समय सीमा के अंतर्गत चल रहे हैं, या जिनके लिए समयवृद्धि सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत हो ।

7. इस निर्णय में वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त है ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा महालेखाकार बिहार, पटना को सूचना एवं जानकारी हेतु भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20/6/08

अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार पटना ।

ज्ञापांक–7/ज01–108/08 – 558   पटना, दिनांकः– 20/6/08

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/6/08

अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार पटना ।

ज्ञापांक–7/ज01–108/08 558 पटना, दिनांकः– 20/6/08

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

20/6/08
अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार पटना ।

ज्ञापांक–7/ज01–108/08 558 पटना, दिनांकः– 20/6/08

प्रतिलिपि सभी प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/6/08
अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार पटना ।

ज्ञापांक–7/ज01–108/08 558 पटना, दिनांकः– 20/6/08

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/6/08
अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार पटना ।

ज्ञापांक–7/ज01–108/08 558 पटना, दिनांकः– 20/6/08

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

20/6/08
अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार पटना ।